न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, भीलवाडा

पीठासीन अधिकारी : श्रीमती निमिषा गुप्ता, आर.ए.एस

अपील संख्या आर टी ए/189/2013

उनवान

1. मांगी लाल के बजायः—
   1. काशीराम मुतबन्ना स्व0 श्री मांगी लाल पुत्र बालु माली निवासी बनेडा, जिला भीलवाडा

अपीलाण्ट्स

बनाम

1. लादू लाल पुत्र मांगी लाल के बजाय :—
   1/1 रामप्रसाद पुत्र लादू लाल माली निवासी कृषि मण्डी के सामने, शाहपुरा, तहसील शाहपुरा, जिला भीलवाडा
   1/2 महादेव पुत्र लादू लाल माली निवासी कृषि मण्डी के सामने, शाहपुरा, तहसील शाहपुरा, जिला भीलवाडा
   1/3 कंचन पत्नी लादू लाल माली निवासी कृषि मण्डी के सामने, शाहपुरा, तहसील शाहपुरा, जिला भीलवाडा
2. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार शाहपुरा जिला भीलवाडा
3. लालू पुत्र मांगी लाल माली निवासी शाहपुरा जिला भीलवाडा

रेस्पोडण्ट

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम अपील विरूद्ध उपखण्ड अधिकारी, शाहपुरा के प्रकरण संख्या 71/03 निर्णय एवं डिक्री दिनांक 12.7.2013

अधिवक्तागण :—

1. श्री महेश सोलंकी, अधिवक्ता अपीलार्थीगण
2. श्री चंदन मल चौधरी, अधिवक्ता प्रत्यर्थी संख्या 1
3. श्री ओम प्रकाश सोनी, राजकीय अधिवक्ता

निर्णय

दिनांक 16.10.2018

भू. प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा

1. अपीलाधीन मामले के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि अपीलार्थी /वादी ने अधीनस्थ न्यायालय में वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88, 183 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम प्रस्तुत कर निवेदन किया कि ग्राम शाहपुरा तहसील शाहपुरा जिला भीलवाडा में आराजियात स्थित है। जिसका वादी खातेदार काश्तकार है । मौजा शाहपुरा का भू प्रबन्ध संवत 2000 में हुआ व इनका खाता नम्बर 902 बना व जमाबंदी संवत 2010 में वादी के नाम दर्ज हुई। पानडी यानि पर्चा लगान भी आराजी नम्बर 2667 रकबा 2 बीघा, आराजी नम्बर 2670 रकबा 12 बिस्वा, आराजी नम्बर 2672 रकबा 02 बिस्वा आता चाह, आराजी नम्बर 2673/1 रकबा 1 बीघा 8 बिस्वा, आराजी नम्बर 2673/2 रकबा 1 बीघा 01 बिस्वा कुल किता 5 रकबा 3 बीघा 3 बिस्वा का वादी को जारी हुआ जिसकी फोटो स्टेट प्रतिलिपि पेश है। वक्त सेटलमेण्ट यह आराजी श्री किशन वल्द लक्ष्मण माली के रहन थी । इसलिए इसका इन्द्राज जमाबंदी में हुआ । रकम रहन व लागत देकर यह जमीन श्री किशन वल्द लक्ष्मण माली से वादी ने पोष बुदी 5 सवत 2008 को श्री किशन पिता लक्ष्मण माली से छुडा ली । वादी मांगीलाल के लडके मुस्मी भुरा लाल को गोद रखा । जिसकी रजिस्ट्री भूरालाल के पक्ष में बुदी 5 संवत 2000 को उसके पक्ष में तहरीर तकमिल करा दी । भूरा लाल का स्वर्गवास हो गया है। वादी शाहपुरा छोडकर बाहर रहता है । इसलिए उपरोक्त जमीन वादी ने मांगी लाल को जो भूरा लाल का पिता था अवेरने सवेरने को संवत 2010 के लगभग दी । तब से मांगीलाल स्व0 प्रतिवादी लादू लाल के पिता है के कब्जे में चली आ रही है व मांगी लाल के स्वर्गवास के बाद लादु लाल प्रतिवादी के कब्जे में है। वादी को बिना सुने व बिना सुचना के इन्तकाल नम्बर 812 से वादग्रस्त आराजियात भूरा मुतबन्ना वादी के नाम दिनांक 13.1.62 ई को दर्ज कर दी

भू. प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा

गई। भूरा का स्वर्गवास हो चुका है । वादी की जिन्दगी में इन्तकाल नम्बर 812 से वादग्रस्त आराजियात भूरा के नाम गलत दर्ज की गई। वादी ने कोई सन्यास नहीं लिया है । वैसे भी भूरा का भी स्वर्गवास हो चुका है। बस इन्तकाल नम्बर 812 से यह भूमि भूरा के नाम पर गलत दर्ज हुई है। इन्तकाल नम्बर 14, 16 दिनांक 22.7.82 ई. से उपरोक्त वादग्रस्त आराजियात प्रतिवादी नम्बर एक के नाम विरासत से दर्ज कर दी गई है जो गलत दर्ज की गई है। क्योंकि भूरा लाल का वारिश लादू लाल नहीं है न उसको कोई हक है। भूरा लाल का वारिस कोई है तो वादी है क्योंकि वादी का मुतबन्ना लडका है।

2. वादग्रस्त भूमि का वादी खातेदार काश्तकार है अतः वादी को वादग्रस्त आराजियात का खातेदार काश्तकार घोषित किया जावे व चालू जमाबंदी में वादी के नाम पर दर्ज किये जाने व कब्जा प्रतिवादी संख्या 1 से वादी को दिलाये जाने की डिक्री प्रदान कराई जावे।

3. अधीनस्थ न्यायालय में प्रकरण पंजिबद्ध किया गया एवं बाद विचारण अपीलाधीन निर्णय द्वारा वादीगण का वाद पत्र खारिज किया । जिससे व्यथित होकर अपीलार्थी ने साथ यह अपील इस न्यायालय में प्रस्तुत की है।

4. अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई। उभयपक्ष के अधिवक्तागण की बहस सुनी गई।

5. अपीलार्थी के योग्य अधिवक्ता का निवेदन है कि अपीलाधीन निर्णय विधिविरूद्ध होने से निरस्त योग्य है । उनका यह भी निवेदन है कि अधीनस्थ न्यायालय ने प्रकरण में जो तनकियात कायम की थी उनको प्रमाणित करने का भार जिस तरह से वादी एवं प्रतिवादीगण के जिम्मे रखा है वह कानूनन सही नहीं है। इस कारण अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिंक्री निरस्त योग्य है।

भू. प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा

6. अधिवक्ता अपीलार्थी का यह भी निवेदन है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा कायम की गई तनकी संख्या 1, 2, एवं 3 जिनमें वादी को यह प्रमाणित करना था कि विवादित आराजियात वादी के खातेदारी अधिकार की संवत 2010 में दर्ज थी व वक्त भू प्रबन्ध यह भूमि किशन वल्द लक्ष्मण के रहन थी जिसे वादी ने पोष सुदी 5 सवंत 2008 को रहन से छुडाई वं वादी के बाहर रहने से वादी ने अपने दत्तक पुत्र भूरा लाल के पिता को उपरोक्त वर्णित आराजियात अवेरने सवेरने हेतु संवत 2010 में दी । इस सबंध में वादी ने दस्तावेजी साक्ष्य में तत्समय वादी के नाम दर्ज रेकार्ड थी की नकल पेश की है। तथा भू प्रबन्ध की पानडी के खाना कैफियत में किशन वल्द लक्ष्मण माली मू0वि0क0 का अंकन किया हुआ है। जिससे यह स्पष्ट रूप से प्रमाणित होता है कि वादग्रस्त आराजी संवत 2010 में वारी के नाम खातेदारी हक अधिकार से दर्ज रेकार्ड थी एवं वक्त भू प्रबन्ध किशन वल्द लक्ष्मण के रहन रखी हुई थी तथा वादी ने ही विवादित आराजियात को किशन वल्द लक्ष्मण से रहन की राशि अदा कर छुडाई तथा इस संबंध में लिखा पढी भी की गई जिसकी नकल पत्रावली में पेश की गई है। इस प्रकार उपरोक्त दस्तावेजी साक्ष्य एवं मौखिक साक्ष्यों से तनकी संख्या 1, 2 व 3 वादी के पक्ष में सिद्ध होते हुए भी वादी के पक्ष में निर्णित नहीं कर अपीलाधीन निर्णय वादी के विरूद्ध पारित करने में अधीनस्थ न्यायालय ने कानूनी भूल की है।

7. अपीलार्थीगण के योग्य अधिवक्ता का निवेदन है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा तनकी सख्या 4, 6 व 7 को साबित करने का भार गलत तरीके से रखा गया , जबकि वादी व प्रतिवादीगण को यह प्रमाणित कराना था कि वादग्रस्त भूमि मुतबन्ना मांगीलाल के नाम गलत दर्ज की गई तथा इन्तकाल संख्या 1446 दिनांक 22.7.1982 से

भू. प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा

वादग्रस्त आराजी को प्रतिवादी संख्या 1 के नाम विरासत से गलत दर्ज हो गई । क्योंकि प्रतिवादी संख्या 1 भूरा का वारिस नहीं है व वादी बजरिये वसीयत अपना नाम वादग्रस्त आराजी को जमाबंदी में दर्ज करने का अधिकारी है और वादी काशीराम के पक्ष में दिनांक 22.4.1989 जिसको गलत तरीके से 22.4.1989 अंकित कर दी , को वसीयत तहरीर व तकमील कर दी गई है। इसके संबंध में जो इन्तकाल संख्या 812 दिनांक 13.01.1962 को खोला गया है, से ही यह स्पष्ट प्रमाणित होता है कि वादग्रस्त आराजियात का इन्तकाल वादीके जीवनकाल में ही वादी के जीवित रहते हुए भुरा के नाम खोल फैसल कर दिया गया है। इसके अलावा जो इन्तकाल संख्या 1446 दिनांक 22.7.1982 प्रतिवादी संख्या 1 व 3 के नाम खोल फैसल किया गया है वह सर्वथा गलत है क्योंकि प्रतिवादी संख्या 1 लादू लाल मृतक भूरा का मुतबन्ना मांगीलाल का उत्तराधिकारी नहीं है बल्कि मृतक भूरा का उत्तराधिकारी भुरा का गोद पिता वादी मांगी लाल है। जिसके जीवित रहते इन्तकाल संख्या 1446 प्रतिवादी संख्या 1 के पक्ष में खोल फैसल किया गया है वह पूर्णतया गलत है। इसके अलावा वादी ने काशीराम के पक्ष में दिनांक 22.4.1989 को वसीयत कर तहरीर व तकमिल की है । जिसे काशीराम ने प्रकरण हाजा में वादी के स्थान पर वादी बन अपने पक्ष में निष्पादित वसीयत को वसीयत के लेखक शिवराम पुत्र कल्याणमल पाराशर को पी डब्ल्यू 4 के रूप में पेश कर बयान कराये हैं जिसने अपने बयानों में कहा है कि वसीयत प्रदर्श पी 1 उसने वादी मांगीलाल के कहने से लिखी है जिस पर एक्स स्थान पर मांगी लाल की निशानी है। उक्त गवाह के बयानों को प्रतिवादी/रेस्पोडेण्ट के अधिवक्ता द्वारा जिरह में खण्डित नहीं कराया गया है। इतना ही नहीं पी डब्ल्यू 2 भॅवर लाल जो प्रदर्श पी 1 वसीयत का साक्षी है को भी पेश कर बयान कराये है।

भू. प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा

जिसने प्रदर्श पी 1 पर अपनी साख्या मांगी लाल के कहने से देना अभिकथन किया है। उक्त गवाह के बयान को भी अधिवक्ता प्रतिवादी द्वारा जिरह में खण्डित नहीं कराया गया है। इस प्रकार वादी काशीराम ने अपने पक्ष में निष्पादित बसीयतनामा दिनांक 22.4.1989 को पूर्णतया साबित कराया है। वादी ने तनकी संख्या 4, 6, व 7 को दस्तावेजी व मौखिक साक्ष्य से पूर्णतया साबित कराया है । फिर भी अधीनस्थ न्यायालय द्वारा तनकी संख्या 4, 6, व 7 को अपीलाण्ट/वादी के विरूद्ध निर्णित कर अपीलाधीन निर्णय पारित किया गया है जो खारिज योग्य है।

8. अधिवक्ता अपीलार्थी का यह भी निवेदन है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा तनकी संख्या 4 को ही पुनः तनकी संख्या 5 कायम करते हुए तनकी संख्या 5 का निर्णय भी अपीलार्थी/वादी के विरूद्ध निर्णित की है। जबकि उक्त तनकी को भी अपीलार्थी/वादी ने दस्तावेजी एवं मौखिक साक्ष्य से पूर्णतया साबित कराया है। उनका यह भी निवेदन है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा कायम तनकी संख्या 8, 9, एवं 10 जिसमें प्रतिवादी को यह साबित करना था कि वादी के खिलाफ फौजदारी मुकदमा बनने से उसने संसार त्याग साधु बन गया व उसकी सामाजिक मृत्यु हो गई। इसलिए उसकी सम्पति पर उसका कोई अधिकार नहीं रहा व भूरा लाल के गोदपुत्र जाने से वह विवादितसम्पति का मालिक हुआ एवं भुरा लाल नाबालिग होने से उसका पिता मांगीलाल ही काश्त करता था तथा प्रतिवादी संख्या 1 का विवादित आराजियात पर 12 वर्ष से अधिक का कब्जा होने से वादी कब्जे की डिक्री प्राप्त नहीं कर सकता है और प्रतिवादी संख्या 1 का मुखालफाना कब्जा है। तनकी संख्या 8, 9, एवं 10 को प्रमाणित करने के लिए प्रतिवादी ने कोई ठोस साक्ष्य, सबुत प्रस्तुत नहीं किये न ही प्रतिवादी यह बता पाया कि वादी के खिलाफ कौनसा फौजदारी मुकदमा लगा

भू. प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा

जिससे वादी ने संसार त्याग दिया एवं साधु बन गया हो और उसकी सामाजिक मृत्यु हो गई हो। वादी ने वादग्रस्त आराजियात अपने गोदपुत्र भूरा के पिता को अवेरने सवेरने हेतु सौंपी जिसका नाजायज दुरूपयोग करते हुए राजस्व कर्मचारियों से मिलाभगती करते हुए इन्तकाल भुरा मुतबन्ना मांगी लाल के नाम फैसल करा लिया एवं स्वयं फौजदारी मुकदमें से बचने के लिए वादी के साधु बन जाने की गलत कहानी गढ डाली। वादी न तो कभी साधु बना एवं न ही उसकी कोई समाधी ही है। कानूनन पिता के जीवित रहते हुए कभी पुत्र के नाम आराजियात का इन्तकाल फैसल नहीं किया जा सकता है। वादग्रस्त आराजियात प्रतिवादी संख्या 1 के नाम इन्तकाल संख्या 1446 दिनांक 22.7.1982 से दर्ज हुई तथा भुरा की मृत्यु के बाद ही प्रतिवादी संख्या 1 के कब्जेकाश्त में आई और वर्ष 1986 में वादी ने वादग्रस्त आराजियात बाबत वाद प्रस्तुत कर दिया था। ऐसी स्थिति में प्रतिवादी संख्या 1 का वादग्रस्त आराजी पर 12 वर्ष से अधिक समय का कब्जा नहीं माना जा सकता है इसलिए प्रतिवादी संख्या 1 मुखालफाना कब्जे के आधार पर वादग्रस्त आराजियात की खातेदारी अधिकार प्राप्त करने के अधिकारी भी नहीं है। उपरोक्त तथ्यों की अनदेखी कर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय पारित किया है जो खारिज योग्य है। अतः अपील अपीलार्थी स्वीकार कर वादग्रस्त आराजियात का वादी को खातेदार काश्तकार घोषित किया जावे एवं कब्जा भी अपीलाण्ट को दिलाया जावे।

9. अधिवक्ता प्रत्यर्थी का निवेदन है कि वादग्रस्त आराजियात पर भुरा मुतबन्ना मांगीलाल की मृत्यु के उपरान्त से ही कब्जाकाश्त चला आ रहा है। इन्तकाल नम्बर 812 से वादग्रस्त आराजियात भूरा मुतबन्ना वादी के नाम दिनांक 13.1.62 ई को दर्ज कर दी गई। भूरा का

भू. प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा

स्वर्गवास हो चुका है । वादी की जिन्दगी में इन्तकाल नम्बर 812 से वादग्रस्त आराजियात भूरा के नाम दर्ज हो चुकी थी। चूंकि मांगी लाल पुत्र रामबगस फौजदारी मुकदमे से बचने के लिए साधु बनकर चला गया था । भुरा की मृत्यु के बाद उसका एक मात्र वारिस उसका पिता मांगीलाल ही वारिस था इस कारण वादग्रस्त आराजियात प्रतिवादी संख्या 1 के नाम इन्तकाल संख्या 1446 दिनांक 22.7.1982 से दर्ज हुई । वादग्रस्त आराजियात पर कब्जा 1962 से ही प्रतिवादी मांगी लाल का चला आ रहा था चूंकि भुरा नाबालिग था इसलिए कब्जाकाश्त प्रतिवादी मांगी लाल का ही चला आ रहा था। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा कायम की गई तनकियात को अपीलार्थी/वादी साक्ष्य सबूत से साबित नहीं करा पाया था। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा तनकीवाईज विस्तृत निर्णय पारित किया था। जो विधिसम्मत है। अतः अपील अपीलार्थी खारिज की जावे।

10. हमनें उभयपक्ष के अधिवक्तागण की बहस सुनी एवं पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य, दस्तावेज, गवाहान के बयान का प्रकरण के परिप्रेक्ष्य में अवलोकन किया । वादग्रस्त आराजियात मांगी लाल पुत्र रामबगस माली की खातेदारी अधिकार की थी। वादी मांगी लाल ने अपने जीवनकाल में ही वादग्रस्त आराजी नम्बर 2667 रकबा 2 बीघा, आराजी नम्बर 2670 रकबा 12 बिस्वा, आराजी नम्बर 2672 रकबा 02 बिस्वा आता चाह, आराजी नम्बर 2673/1 रकबा 1 बीघा 8 बिस्वा, आराजी नम्बर 2673/2 रकबा 1 बीघा 01 बिस्वा कुल किता 5 रकबा 3 बीघा 3 बिस्वा का वादी को जारी हुआ जिसकी फोटो स्टेट प्रतिलिपि अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में संलग्न है। वक्त सेटलमेण्ट यह आराजी श्री किशन वल्द लक्ष्मण माली के रहन थी । इसलिए इसका इन्द्राज जमाबंदी में हुआ । रकम रहन व लागत देकर यह जमीन श्री किशन वल्द लक्ष्मण माली से

भू. प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा

वादी ने पोष बुदी 5 सवत 2008 को श्री किशन पिता लक्ष्मण माली से छुडा ली । वादी मांगीलाल के लडके मुस्मी भुरा लाल को गोद रखा । जिसकी रजिस्ट्री भूरालाल के पक्ष में बुदी 5 संवत 2000 को निष्पादित की थी।

11. इन्तकाल संख्या 812 दिनांक 13.01.1962 को खोला गया है, से ही यह स्पष्ट प्रमाणित होता है कि वादग्रस्त आराजियात का इन्तकाल वादी के जीवनकाल में ही वादी के जीवित रहते हुए भुरा के नाम खोल फैसल कर दिया गया है। इसके अलावा भुरा की मृत्यु के उपरान्त जो इन्तकाल संख्या 1446 दिनांक 22.7.1982 प्रतिवादी संख्या 1 व 3 के नाम खोल फैसल किया गया है वह किस कारण से खोला गया क्योंकि प्रतिवादी संख्या 1 लादू लाल मृतक भूरा का मुतबन्ना मांगीलाल का उत्तराधिकारी नहीं है बल्कि मृतक भूरा का उत्तराधिकारी भुरा का गोद पिता वादी मांगी लाल (आत्मज रामबगस माली) था।

12. प्रतिवादी का कथन है कि भुरा का दत्तक पिता मांगी लाल फौजदारी मुकदमे से बचने के लिए साधु बन गया था परन्तु इस बाबत पत्रावली पर कोई दस्तावेजी अथवा मौखिक साक्ष्य प्रतिवादी द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में प्रस्तुत की गई है।

13. मांगी लाल आत्मज रामबगस माली /वादी के जीवित रहते हुए उसके गोदपुत्र भुरा लाल के नाम इन्तकाल खोल दिया गया था। भुरा के अविवाहित ही मृत्यु हो जाने पर वादग्रस्त आराजियात का अधिकार उसके दत्तक पिता को ही प्राप्त था । इस बिन्दु पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा कोई विचारण नहीं किया गया । अपीलाधीन प्रकरण में भुरा की मृत्यु के उपरान्त इन्तकाल संख्या 1446 दिनांक 22.7.1982 प्रतिवादी संख्या 1 के नाम खोला गया है। जबकि लादू लाल मृतक भुरा लाल का भाई होकर भुरा लाल के वास्तविक पिता मांगी लाल का पुत्र था । जिसके हक में

भू. प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा

इन्तकाल फैसल किया गया । इन बिन्दुओं पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा कोई विचार नहीं किया गया है।

14. अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दावा एवं जवाब दावे के आधार पर तनकियात कायम की परन्तु कायम की गई तनकियात का निर्णय पारित किये जाने से पूर्व पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात, गवाहान के बयानात का प्रकरण के परिप्रेक्ष्य मे अवलोकन एवं विचारण नहीं किया गया है। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात, गवाहान के बयान, राजस्व रेकार्ड का अवलोकन कर तनकियात को निर्णित नहीं किया गया है। अतः अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री का समर्थन नहीं किया जा सकता है।

15. अतः अपील अपीलाण्ट्स आंशिक रूप से स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 12.7.2013 को निरस्त किया जाकर प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को उपरोक्त ऑब्जर्वेशन के आधार पर अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि प्रकरण में साक्ष्य, दस्तावेजात का पूर्णतया अवलोकन कर तनकियात कायम की जावे एवं तनकीवाईज गुणावगुण पर विस्तृत निर्णय पारित करें। उभयपक्ष अधीनस्थ न्यायालय में दिनांक 9-1-2019 को उपस्थित रहें।

16. निर्णय आज दिनांक 16.10.2018 को सरे इजलास सुनाया गया ।

16/10/18

भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, भीलवाडा

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी भीलवाड़ा (राज.)